वार्षिक रिपोर्ट–2019

एटीएस/स्पॉट

UTTAR PRADESH

UP ATS

ANTI-TERROR SQUAD

उपलब्धियाँ एक नजर में

आंतकवादी घटनाओं एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित 05 प्रकरणों में मा. न्यायालय से सजा

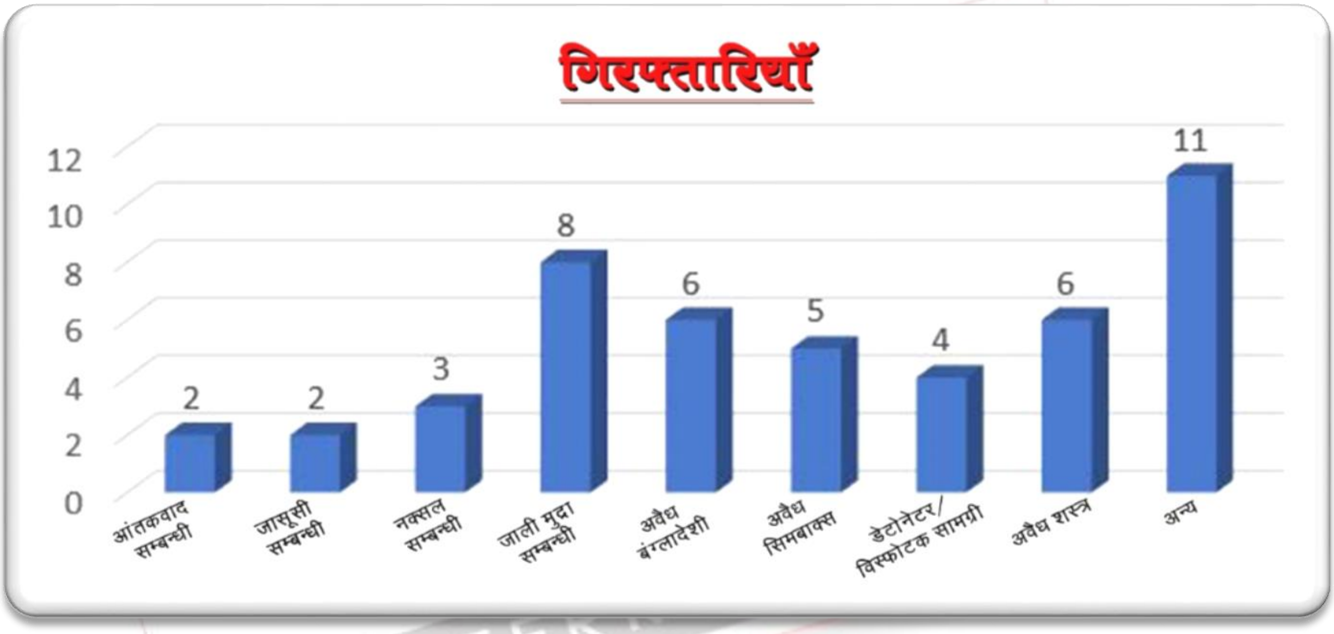

De-Radicalization

Capacity building

आंतकवादी घटनाओं एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित 05 प्रकरणों में मा.न्यायालय से सजा का विवरण

आंतकवादी घटनाओं एवं अन्य मामलो से सम्बन्धित प्रकरणों में एटीएस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा.न्यायालय से अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी, जिनका विवरण निम्नवत है–

i. दिनांक 01.01.2008 को सीआरपीएफ के रामपुर ग्रुप सेंटर पर आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयब्बा के कुछ आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया गया था। इस हमले में सी0आर0पी0एफ0 के 07 जवान शहीद हुये थे, 01 नागरिक की मृत्यु हुई थी व कई जवान तथा नागरिक गम्भीर रूप से घायल हुये थे। इस घटना के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 08/2008 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 332, 121, 121ए भादवि व धारा 03 लो0स0 क्षति निवारण अधिनियम, 16/18/20/23 यूए(पी) एक्ट व 03 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 7/27/3 आयुध अधिनियम, थाना सिविल लाइन, रामपुर पंजीकृत हुआ जिसमें मा. न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत दिनांक 02.11.2019 को अभियुक्त मो. शरीफ उर्फ सुहैल, सबाउद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन, इमरान शहजाद उर्फ अबु ओसामा, मो. फारूख उर्फ अबुजुलकार नैन को फॉसी की सजा तथा अभियुक्त जंगबहादुर को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

ii. दिनांक 23.11.2007 को कचहरी, फैजाबाद (अब अयोध्या) परिसर में इण्डियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन के कुछ आतंकियों द्वारा भीषण बम विस्फोट कारित किया गया, जिसमें अधिवक्ता, वादकारी एवं मुंशी सहित कुल 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा करीब 35 व्यक्ति घायल हुये थे। इस घटना के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 3398/2007 धारा 307, 302, 121 भादवि व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 16/18/20/3 यूए(पी) एक्ट, थाना कोतवाली नगर, फैजाबाद में पंजीकृत हुआ था, जिसमें मा. न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत दिनांक 20.12.2019 को अभियुक्त तारिक काजमी व मो. अख्तर को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

iii. मु.अ.सं. 07/2017 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भादवि, 12 पासपोर्ट अधिनियम व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना एटीएस, लखनऊ के अभियोग में मा. न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत दिनांक 25.10.2019 को अभियुक्त अरमान, जावेद, मारूफ एवं कुलविन्दर सिंह उर्फ राजा सरदार को 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

vi. मु.अ.सं. 208, 209, 210/2008 धारा 420, 467, 468, 471, 121,1 21ए, 200 भादवि व 3/12 पासपोर्ट अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना सिविल लाइन, रामपुर के अभियोग में मा. न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत दिनांक 02.11.2019 को अभियुक्त फहीम को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा शरीफ उर्फ सुहैल को 07 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

v. मु.अ.सं. 01/2013 धारा 120, 121, 122, 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 3/5/25/30/35 आयुध अधिनियम, थाना एटीएस, उ.प्र. लखनऊ के अभियोग में मा. न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत दिनांक 12.11.2019 को अभियुक्त मो. खालिद, सरदार गुरूचरन, अजय पाल सिंह व अमित पाल सिंह को आजीवन कारावास तथा अभियुक्तगण जुनैद उर्फ छोटे, रमजान, जफर अरसद उर्फ बाबर, कल्लू शर्मा, विमल कुमार विश्वकर्मा, अनिल कुमार जैन, हरीश चंद पाण्डे व मन्टू शर्मा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

गिरफ्तारियाँ

आंतकवाद सम्बन्धी

दिनांकः 22.02.2019

- एटीएस द्वारा आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. शहनवाज तेली उर्फ नवाज अहमद तेली पुत्र गुलाम हसन तेली, निवासी नूनमई यारीपुरा, जिला कुलगाम, जम्मू कश्मीर एवं 2. आकिब अहमद मलिक पुत्र मोहम्मद अकबर, निवासी ढोकर मोहल्ला चन्दगाम, तहसील लिग, जनपद पुलवाम, जम्मू कश्मीर को देवबन्द, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 01/2019 धारा 17/18/बी/20/38/39/40 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम तथा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ पंजीकृत है।

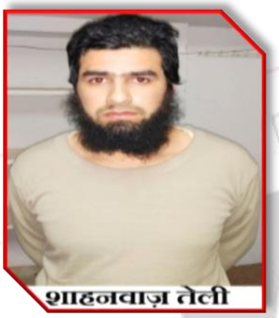
शाहनवाज़ तेली

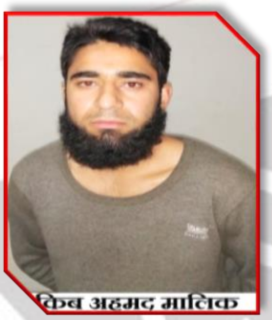
किब अहमद मालिक

जासूसी सम्बन्धी

दिनांकः 05.05.2019

- एटीएस द्वारा मिलिट्री इंटेलीजेन्स के साथ संयुक्त ऑपरेशन करते हुये सेना की 27 Armoured Brigade बबीना कैम्प, झांसी में सिपाही के पद पर कार्यरत शाहब आलम पुत्र मो0 इरशाद, निवासी निजामुद्दीन नगर, अशरफपुर किछौछा, जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर मिलिट्री इंटेलीजेन्स को सुपुर्द किया गया। शाहब आलम सेना की गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनायें सम्प्रेषित करता था। सेना नियमावली के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांकः 04.06.2019

- एटीएस द्वारा सेना की संवदेनशील सूचनायें एवं लोकेशन PIO से साझा करने वाले सूबेदार प्रदीप सिंह (आर्मी नं. JC&733137Y) पुत्र कामेश्वर सिंह, निवासी क्वार्टर नं. 17/3, आर.पी. लाइन, CAD Camp, पुलगांव, वर्धा (महाराष्ट्र), मूल निवासी जय हिन्द कॉलोनी, एमपी बाग, थाना आरा टाउन, जिला भोजपुर, बिहार को हिरासत में लेकर विभागीय कार्यवाही हेतु सेना को सुपुर्द किया गया ।

नक्सल सम्बन्धी

दिनांकः 08.07.2019
● एटीएस द्वारा दिनांक 08.07.2019 को 1– मनीष उर्फ राकेश श्रीवास्तव पुत्र मंगला प्रसाद एवं 2– अमिता उर्फ वर्षा श्रीवास्तव पत्नी मनीष उर्फ राकेश श्रीवास्तव, निवासीगण फार्चून प्राईड के पास त्रिलिंगा, भोपाल, मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 4/2019 धारा 120बी/121ए भादवि थाना एटीएस, उ0प्र0, लखनऊ पंजीकृत कराया गया है।
दिनांकः 17.07.2019
● एटीएस द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न अभियोगों में वांछित तथा रू0 50,000/– के ईनामी अभियुक्त खीम सिंह बोरा उर्फ मैत्रेय उर्फ प्रकाश उर्फ राजन उर्फ विजय पहरू प्रभाक पुत्र पूरन सिंह बोरा, नि.पल्यूड़ा सोमेश्वर, थाना सोमेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 5/2019 धारा 3/25 आयुध अधि., धारा 20/38 UA(P) Act थाना एटीएस, लखनऊ पंजीकृत है। खीम सिंह बोरा

फेक करेंसी सम्बन्धी

वर्ष 2016 में नोट बन्दी के फलस्वरुप उच्च क्वालिटी की भारतीय जाली मुद्रा के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण लग गया है। इसके पश्चात जो भी जाली मुद्रा की बरामदगी हुई है, वह सभी प्रिंटर व स्कैनर से सम्बन्धित है तथा कोई भी उच्च क्वालिटी की जाली मुद्रा नही है। एटीएस द्वारा जाली मुद्रा से सम्बन्धित बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण निम्नवत है–

नोट बंदी के बाद High quality FICN की U.P.में सर्वप्रथम बरामदगियाँ
दिनांकः 26.11.2019
• एटीएस द्वारा 1– अमीनुल इस्लाम उर्फ कालू पुत्र आमिर शेख, 2– नासीबा खातून पुत्री इनामुल हक, निवासीगण शहबाजपुर, सधारीटोला, थाना कलियाचक, मालदा, पश्चिम बंगाल तथा 3– फूलचंद पुत्र सुखलाल राठौर, निवासी फत्तेपुर, थाना मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी को इटौंजा, लखनऊ से रू0 1,79,000/– मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 08/2019 धारा 489ए/489बी/489सी भादवि थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ पर पंजीकृत है।
दिनांकः 11.12.2019
• एटीएस द्वारा मो. मुराद पुत्र मो. अनवर, निवासी रामनगर, जनपद कटिहार, बिहार, हाल पता झंडापुर, साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद को रू0 2,49,500/– मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली (High Quality FICN) भारतीय जाली मुद्रा के साथ, रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 09/19 अंतर्गत धारा 489ए, 489बी, 489सी भादवि, थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ पर पंजीकृत है।

दिनांकः 01.01.2019
• एटीएस द्वारा नवीन कुमार यादव पुत्र हरीलाल यादव, निवासी ग्राम नोनिया, थाना पहाड़पुर, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार को दिनांक 31.12.2018 को सेन्ट्रल जेल रोड के पास, मस्जिद तिराहा, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी से रू0 8,00,000/– मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 01/19, धारा 489B व 489C भादवि थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी पर पंजीकृत है।
दिनांकः 12.01.2019
• एटीएस द्वारा श्याम बाबू कुमार को पं0 दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बाहर से रू0 5,20,000/– मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मुगलसराय पर मु.अ.सं. 20/19 धारा 489ख/489ग भादवि पंजीकृत कराया गया है।
दिनांकः 15.02.2019
• एटीएस द्वारा बप्पा शेख पुत्र सुकुरूद्दीन शेख, निवासी ग्राम मोहनपुर, वैष्णवनगर, मालदा, पश्चित बंगाल को अलोपशंकरी मंदिर के निकट, सरदार पटेल संस्थान की बाउंड्री, थाना क्षेत्र दारागंज, वाराणसी से रू0 3,40,000/– मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 90/19, धारा 489B व 489C भादवि थाना दारागंज, जनपद वाराणसी पर पंजीकृत कराया गया है।
दिनांकः 20.10.2019
• एटीएस द्वारा दीपक साहनी पुत्र विश्वनाथ साहनी, निवासी ग्राम वार्ड नं0: 16, दुदही, हरसीधी, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार को कैंट स्टेशन, वाराणसी के पास से रू0 2,10,000/– मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 1359/19, धारा 489ख व 489ग भादवि थाना कैंट, जनपद वाराणसी पर पंजीकृत है।

UTTAR PRADESH UP ATS ANTI TERROR SQUAD

अवैध SIM BOX (टेलीफोन एक्सचेंज) सम्बन्धी

भारत में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से समानान्तर टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर विदेश से प्राप्त इण्टरनेट कॉल को Sim Box के माध्यम से Voice Call में बदल कर विदेश में बैठे व्यक्ति से बात करायी जाती है, जिसमें बात करने वाले व्यक्ति को विदेशी नम्बर के स्थान पर India का ही नम्बर दिखता है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने के साथ–साथ आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया जा रहा था। इस दिशा में निम्न कार्यवाही की गयी–

दिनांकः 04.04.2019
• एटीएस द्वारा अवैध सिमबॉक्स संचालित करने वाले 1– अनिल यादव उर्फ आशीष पुत्र राजाराम यादव, निवासी ग्राम देहुना, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर, वर्तमान पता म0नं0: सी–01/212, वरदान खण्ड, गोमतीनगर एक्सटेंशन, लखनऊ एवं 2– अंशू यादव, पुत्र स्व0 सियाराम यादव, निवासी गोरिया खुर्द, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। इनके विरूद्ध मु.अ.सं. 02/19 धारा 419/420/467/468/471/121ए भादवि, धारा 3/6 द इण्डियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, धारा 4/20/25 द एण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 व 65/66बी सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट (संशोधित अधि. 2008) थाना एटीएस, उ0प्र0, लखनऊ पंजीकृत है ।
दिनांकः 14.9.2019
• एटीएस द्वारा समानान्तर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज (सिम बॉक्स) चलाने वाले एक गिरोह से सम्बन्धित अभियुक्त 1– अब्दुल रहमान पुत्र फैजान, 2– अहद पुत्र मो. खालिद व 3– नवाज पुत्र शकील, निवासीगण मकदुमपुर, थाना अहरौला, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को दो अदद सिमबॉक्स मय भारी मात्रा में सिम कार्ड एवं अन्य सहवर्ती उपकरण आदि के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 521/19, धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि, 6 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1903, 20/25 इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1933, 65/66 सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ पर पंजीकृत है ।

अवैध रूप से रह रहे बंग्लादेशी सम्बन्धी

दिनांकः 26.05.2019
• एटीएस द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों 1. हबीबुर्रहमान पुत्र वहाब अली, निवासी मंझपुरा, पो0 बीरमोहन, थाना कलकेनी, जिला मदारीपुर, बांग्लादेश, 2. जाकिर हुसैन उर्फ रोमी पुत्र दुलाल, निवासी ग्राम अराईहजर, पो0 बलियापाडा, थाना रूपगंज, जनपद नारायणगंज, बांग्लादेश, 3 मो0 काबिल पुत्र अब्दुल सुभान, निवासी बसनेया, थाना खानसामा, जनपद खानसामा, बांग्लादेश, 4. कमालुद्दीन पुत्र जमशेद अली, निवासी उसमानी नगर, जनपद सिलेट, बांग्लादेश, 5. ताइजुल इस्लाम पुत्र कालू मियां, निवासी ग्राम पुरूरा, पोस्ट पुरूरा, थाना भालूका, जनपद माइमान सिंह, बांग्लादेश तथा 6. लिटोन विश्वास उर्फ लिटन मियां पुत्र मुबीश आलम, ग्राम बिलासपुर, थाना व पोस्ट जोयदीपुर, जिला गाजीपुर, बांग्लादेश को आगरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 03/19 धारा 419/420 भादवि, 12 पासपोर्ट अधिनियम व 14 विदेशी अधिनियम, थाना एटीएस, उ0प्र0, लखनऊ पंजीकृत कराया गया है ।

UTTAR PRADESH UP ATS ANTI-TERRORIST SQUAD

अवैध शस्त्र सम्बन्धी

दिनांक: 03.05.2019
• एटीएस द्वारा दानिस आलम पुत्र स्व. सैयद आलम पुत्र अब्दुल समद, निवासी सुजाअलपुर, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर, बिहार को 4 अदद पिस्टल व 1 अदद रिवाल्वर के साथ चकिया चौराहा, थाना क्षेत्र अलीनगर, जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 173/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली में पंजीकृत कराया गया है।
दिनांक: 16.09.2019
• एटीएस द्वारा 1– दानिश कलीम पुत्र कलीम अहमद, निवासी 177 जालन्धरी, थाना कोतवाली, आजमगढ़, हा.मु. किराये का मकान बिलाल अहमद, डालीगंज बरौलिया, मुकारिमगंज, थाना हसनगंज, लखनऊ, 2– मो. शाहिद पुत्र मो. यूसुफ, निवासी ग्राम कोलही गरीब उर्फ गुर्रा, पो. बनगवा, थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा, हा.मु. किराये का मकान बिलाल अहमद, डालीगंज बरौलिया, मुकारिमगंज, थाना हसनगंज, लखनऊ, 3– मो. अयाज पुत्र मो. गयासुद्दीन, निवासी 420/119 कटरा, मो. अली खां, चौपटिया पोस्ट चौक, थाना सहादतगंज, लखनऊ को 5 अदद पिस्टल, 4 मैगजीन 0.32 बोर, 0.9 एमएम के 4 कारतूस व 3 अदद मोबाइल आदि के साथ वहद नगर क्षेत्र लखनऊ निकट टीले वाली मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 06/2019 धारा 3/5/25/27 आयुध अधिनियम व 419/420/467/468 भादवि थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ में पंजीकृत कराया गया है।
दिनांक: 23.11.2019
• एटीएस द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार व गोला–बारूद सप्लाई करने वाले 1– राज सिंह, निवासी गोगवान, जलालपुर, शामली व उसके एक अन्य साथी 2– आसिफ पुत्र कय्यूम, निवासी गोगवान, जलालपुर, शामली को 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी, जनपद शामली में मु.अ.सं. 420/2019 व 421/2019 धारा 325 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त राज सिंह मु.अ.सं. 06/19 धारा 120बी भादवि एवं 10/13/17/18/20/38/39/40 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में वांछित चल रहा था ।

डेटोनेटर/विस्फोटक सामग्री सम्बन्धी

दिनांक: 21.07.2019
• एटीएस द्वारा 1– चरन सिंह पुत्र लल्लू सिंह, निवासी टोडी, थाना मोठ, झांसी, उ0प्र0, 2– पुष्पेन्द्र झां पुत्र कमलेश, निवासी कस्बा मोठ, थाना मोठ, जनपद झांसी, उ0प्र0, 3– सीताराम पुत्र मलुवापार, निवासी बनवाड़ी टिकमगढ़ देहात, जनपद टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं 4– दीनबन्धु पुत्र सुरेश चन्द्र, निवासी खजुरी शाखागढ़, जनपद भीलवाड़ा, राजस्थान को 02 वाहनों में रखे 5000 जिलेटिन रॉड (25 पेटी) व 1000 डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 106/2019 धारा 419/420/467/468/471/120B/34 IPC व 4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उल्दन, जनपद झांसी में पंजीकृत कराया गया है।

अन्य

दिनांकः 01.06.2019
• एटीएस द्वारा मु.अ.सं. 03/2009 धारा 420/467/468/471 भादवि व 12(1), 12(2) पासपोर्ट एक्ट थाना एटीएस, उ0प्र0, लखनऊ में वांछित अभियुक्त चांद बाबू पुत्र अत्ताउल्ला सिद्दीकी, निवासी ग्राम बनगांव, थाना टिकेत नगर, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी को एटीएस द्वारा अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।
दिनांकः 15.02.2019
• एटीएस द्वारा स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में खालिस्तान समर्थकों को अवैध शस्त्र देकर सहयोग करने वाले आरोपी गुड्डू उर्फ संजय राठी पुत्र ओमवीर सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट इटावा, थाना बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 01/2019 धारा 15/18/21/25/29/61/85 NDPS Act व 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर, पंजाब में पंजीकृत है ।
दिनांकः 07.06.2019
• एटीएस द्वारा मु.अ.सं. 01/2010 धारा 419/420/467/468/471/114/120B भादवि व 12(1) B, 12(2) पासपोर्ट एक्ट थाना एटीएस, उ0प्र0, लखनऊ में वांछित तथा रू0 25000/– का ईनामी अभियुक्त रफीक उर्फ शफीक पुत्र करीम, निवासी बंजारी बाग, थाना उतरौला, जनपद बलरामपुर को एटीएस द्वारा महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से नागपुर के राजीव गांधी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
दिनांकः 27.07.2019
• एटीएस द्वारा मु.अ.सं. 02/18 धारा 419/420/467/468/471/120बी/121ए भादवि, 3/6 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट व 4/20/25 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट, थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ में वांछित तथा रू0 25000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सौरभ शुक्ला उर्फ शिब्बू पुत्र रवि शंकर शुक्ला, निवासी ग्राम हत्था, थाना रामपुर, जिला सींधी, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।
दिनांकः 25.10.2019
• एटीएस द्वारा मु.अ.सं. 681/19, धारा 109/121ए/420 भादवि व 17 अनलाफुल एक्टिविटिज (प्रिवेन्शन) एक्ट 1967, थाना निघासन, जनपद खीरी, उ0प्र0 से सम्बन्धित अभियुक्त 1– Emeka Michael s/o Chinweuba उर्फ King Ugochukwu Jude r/o Emmanuel Church, Enugwukwu, Town Enugwukwu, state Njikoka, Nigeria तथा 2– पीटर हरमन एसेंजा पुत्र मार्क अल्फा एसेंजा, निवासी मोनार्च रेजीडेन्सी, खारघर, नवी मुम्बई तथा 3– सदाकत हुसैन पुत्र इजराइल हुसैन, निवासी इज्जतनगर, जनपद बरेली को मुम्बई से गिरफ्तार किया गया।
दिनांकः 01.11.2019
• एटीएस द्वारा मु.अ.सं.: 319/2019 धारा 302/120बी भादवि, थाना नाका हिण्डोला, जनपद लखनऊ में प्रकाश में आये अभियुक्त यूसुफ खान पुत्र इशरत खान पठान, निवासी रायपुर मुवारी, थाना हथगॉव, जनपद फतेहपुर को घंटाघर चौराहा, जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया।
दिनांकः 25.11.2019
• एटीएस द्वारा पाकिस्तानी हैण्डलरों के द्वारा भारतीय नागरिकों को ठगकर पाकिस्तानी व्यक्तियों को पैसा भेजने वाले 1. प्रकाश उर्फ जयप्रकाश रूहेला पुत्र स्व. बबली उर्फ सतीश, निवासी मोहल्ला रामशाला, थाना शामली, जनपद शामली, हा.पता ब्लाक–1, फ्लैट नं.– 602, क्लासिक रेजिडेन्सी, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद एवं

2– धीरूद्दीन चौधरी पुत्र मलखान चौधरी, निवासी म.नं.– 911, गांव खरड, मुजफ्फरनगर, उ.प्र., हाल पता– म.नं.: 944, पसोंडा, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र. को मोहन नगर, गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 07/2019 धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ पंजीकृत है।

दिनांकः 21.12.2019

- एटीएस द्वारा फर्जी पासपोर्ट के आधार पर नेपाल बार्डर से भारत में प्रवेश कराने के सम्बन्ध में अभियुक्त मुश्ताक जरीवाला पुत्र मुशरर्फ, निवासी कमरा नं. 39बी, 75 कम्बेकर स्ट्रीट, हाज मोहल्ला, वाहीदना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, मुम्बई–9, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र को सोनौली बार्डर से गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. 10/19 धारा 12 सी पासपोर्ट अधिनियम, थाना एटीएस, उ.प्र., लखनऊ पंजीकृत है ।

UTTAR PRADESH
UP ATS
ANTI-TERROR SQUAD

अन्य सराहनीय कार्य

De-Redicalization

वर्ष 2016 के माह नवम्बर से, ऐसे व्यक्ति जो जेहादी विचारधारा से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा से भटक गये थे, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए, De-Radicalization की योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके लिए उनके परिजन, मित्र, धर्मगुरूओं के साथ मिलकर ए.टी.एस. द्वारा परामर्श (Counselling) दी जाती है। इस दिशा मे उत्तर प्रदेश ए.टी.एस. द्वारा वर्तमान में 21 व्यक्तियों का समाज में पुर्नव्यवस्थापन हेतु De-Radicalization की कार्यवाही प्रचलित है ।

Capacity building

- वर्ष 2018 में एटीएस की कार्य क्षमता एवं सुदृढीकरण के लिए जनशक्ति सृजित 571 पदो के सापेक्ष 349 कर्मियों की नियुक्ति व स्पॉट में सृजित 694 पदो के सापेक्ष 192 कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है।
- एटीएस की आप्स टीम, फील्ड यूनिट तथा एक्सपर्ट सेल का गठनः एटीएस की जनशक्ति में शासन द्वारा काफी वृद्धि की गयी है, जिसके फलस्वरूप एटीएस अपनी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता तथा विशेषज्ञता में निपुणता हासिल करने के दृष्टिकोण से प्रत्येक आतंकवादी संगठनों से सम्बन्धित एक विशेष आप्स टीम बनायी गयी है तथा इन आप्स टीमों के कुशल संचालन हेतु एक एक्सपर्ट सेल तथा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी संवेदनशील/महत्वपूर्ण जनपदों के मुख्यालय में फील्ड़ यूनिट स्थापित की गयी है एवं इसका विस्तार करते हुए वर्ष 2019 में फील्ड यूनिट अयोध्या व लखनऊ का गठन किया गया है।
- एटीएस में आपरेशनल कार्यो में लगे सभी कर्मियों को अपरिहार्य एवं आपात स्थिति में आवागमन हेतु व्यवसायिक फ्लाईट से यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- Social Media Lab: एटीएस मुख्यालय में स्थापित सोशल मीडिया लैब के माध्यम से एटीएस की अभिसूचना संकलन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर चल रही आमजनों की परिचर्चा से सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों को निकाल कर उन पर प्रभावी कार्यवाही करके कई अप्रिय घटनाओं को समय रहते रोका गया।

  इस लैब में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु कई अत्याधुनिक टूल्स (सॉफ्टवेयर) का प्रयोग किया जा रहा है। जिनमें निम्न प्रमुख हैं–

  → ASMA

  → TRISHUL

UTTAR PRADESH UP ATS ANTI-TERROR SQUAD

SOP (Standard Operating Procedure)

एटीएस के संचालन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गयी है। इस लिखित SOP से ATS के प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्व के निर्वहन के बारे में स्पष्ट जानकारी व एटीएस के कार्यों को आसान बनाने और उनमें एकरुपता लाने के लिए स्पष्ट एवं विस्तृत दिशा निर्देश दिए गये है।

UTTAR PRADESH UP ATS ANTI-TERROR SQUAD

SPOT

उपलब्धियाँ एक नजर में

स्पॉट का गठन

साइबर ट्रेनिंग फैसेलिटी

स्पॉट प्रशिक्षण

विशेष ड्यूटियाँ

मॉक ड्रिल

महत्वपूर्ण योगदान

पुरस्कार

SPOT का गठन

- NSG की तरह राज्य स्तर पर एटीएस के अन्तर्गत कमांडो इकाई SPOT(Special Police Operation Team) का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया है, जो खतरनाक ऑपरेशन को विशेषज्ञ तरीके से करने में सक्षम होगी, इसमें 694 पद स्वीकृत किये गयें हैं।
- एटीएस के तत्वाधान में संचालित SPOT प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ में BSF, CRPF, CISF, ITBP, तेलंगाना पुलिस तथा पंजाब पुलिस के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के सहयोग से भी प्रशिक्षित कराया गया है।
- जनपदीय पुलिस की कार्य क्षमता को बढाने के और उनको वर्तमान में आपराधिक चुनौतियों का सामना करने के दृष्टिकोण से जनपदीय SWAT (Special Weapons and Tactics) टीम को प्रशिक्षित कराया जा रहा है। अब तक जनपद आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, मिर्जापुर तथा बनारस के SWAT टीमों को जनपद स्तर के आपराधिक एवं आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर भेजा गया। वर्ष 2019 में भी इसी प्रकार की 6 SWAT टीमें तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

- यूपी पुलिस की पहली Snipers Team की 4 टोलियां तैयार कर ली गयी है, जिनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) मानेसर में कराया गया है। Snipers Team बनने के पश्चात यूपी पुलिस की दक्षता एवं प्रभावशीलता में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है।
- जनपदीय पुलिस कर्मियों की टैक्टिस में सुधार हेतु Training Of Trainers Course (TOT) का आयोजन किया गया है।

Cyber Training Facility

- साइबर अपराध से सम्बन्धित मुकदमों की विवेचनाओं के सफल निस्तारण हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करनें हेतु यूपी एटीएस में "साइबर मंथन" Cyber Training Facility का शुभारम्भ किया गया है।
- Social media Platform एवं Data Security के सम्बन्ध में "साइबर मंथन" हॉल में Social Media Data Breach Scandals का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं प्रवक्ताओं द्वारा मंथन/कान्फ्रेंस की गयी जिससे भविष्य में डेटा सुरक्षा एवं Social Media प्रयोग को सुरक्षित बनाये जाने हेतु मार्गदर्शन किया गया है।

- साइबर अपराध एवं आधुनिक सर्विलांस (सीडीआर/टावर डम्प एनालाईज, इन्टरनेट कॉलिंग) आदि के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य जनपदों के पुलिस कर्मियों को यूपी एटीएस द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिससे जनपद स्तर पर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है।

ANTI TERROR SQUAD

स्पॉट प्रशिक्षण

- ग्रहण किये गये प्रशिक्षण:

क्र0	प्रशिक्षण का विवरण	संस्थान का नाम	अवधि		प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों की संख्या
			कब से	कब तक	
1	Bomb Dispossal Advance Course	एन0एस0जी0, मानेसर, हरियाणा	22.04.2019	18.05.2019	04
2	Police Special Tactics Course	एन0एस0जी0, मानेसर, हरियाणा	25.11.2019	21.12.2019	02
3	Protecting Soft Trargets (Train the Trainer Course)	एन0एस0जी0, मानेसर, हरियाणा	26.08.2019	07.09.2019	01

- प्रदान किये गये प्रशिक्षण:

क्र0	प्रशिक्षण का विवरण	जनपद	अवधि		प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों की संख्या
			कब से	कब तक	
1	Swat Training III	अयोध्या	10.12.2018	07.01.2018	10
		एटा			11
2	Swat Training IV	अयोध्या	18.06.2019	27.07.2019	17
3	QRT I	प्रयागराज	30.12.2018	12.01.2019	24
4	QRT II	लखनऊ	14.10.2019	09.11.2019	22
5	OSD II	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	27.12.2018	27.01.2019	21
6	STC II	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	04.03.2019	25.05.2019	21
7	OSD III	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	01.07.2019	27.07.2019	44
8	STC III	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	16.09.2019	07.12.2019	38
9	OSD IV	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	25.11.2019	प्रचलित	06
10	Spot Fighters Refresher I	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	14.10.2019	26.10.2019	06
11	Spot Fighters Refresher II Team-B	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	06.01.2020	प्रचलित	38
12	CPT I	स्पॉट/एटीएस लखनऊ	10.12.2018	07.01.2019	24

विशेष ड्यूटियाँ

क्र0	ड्यूटी का विवरण	जनपद	अवधि		कार्मिकों की संख्या
			कब से	कब तक	
1	विधान सभा रैकी ड्यूटी–2019	लखनऊ	05.02.2019	05.02.2019	23
2	विधान सभा सत्र ड्यूटी–2019	लखनऊ	06.02.2019	06.02.2019	28
3	विधान सभा रैकी ड्यूटी–2019	लखनऊ	11.02.2019	11.02.2019	17
4	विधान सभा सत्र ड्यूटी–2019	लखनऊ	12.02.2019	12.02.2019	33
5	विधान सभा सत्र ड्यूटी–2019	लखनऊ	17.07.2019	23.07.2019	37
6	विधान सभा सत्र ड्यूटी–2019	लखनऊ	14.08.2019	15.08.2019	32
7	गणतन्त्र दिवस परेड ड्यूटी	लखनऊ	24.01.2019	24.01.2019	43
8	गणतन्त्र दिवस परेड	लखनऊ	26.01.2019	26.01.2019	32
9	पुलिस स्मृति दिवस परेड	लखनऊ	10.10.2019	21.10.2019	32
10	रमजान जुलूस	लखनऊ	25.05.2019	25.05.2019	57
11	महाराजगंज	महाराजगंज	10.08.2019	13.08.2019	34
12	मोहर्रम	लखनऊ	08.09.2019	10.09.2019	51
13	दशहरा मेला	गोरखपुर	08.10.2019	09.10.2019	28
14	चेहुल्लुम	लखनऊ	20.10.2019	20.10.2019	32
15	वी.वी.आई.पी. स्नाइपर ड्यूटी	कानपुर	30.01.2019	30.01.2019	05
16	इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान स्नाइपर ड्यूटी	लखनऊ	27.07.2019	27.07.2019	04

मॉक ड्रिल

क्र0	ड्यूटी का विवरण	जनपद	अवधि		कार्मिकों की संख्या
			कब से	कब तक	
1	स्पोर्ट्स आथॉरिटी ऑफ इण्डिया	लखनऊ	07.01.2019	07.01.2019	35
2	होटल फेयर फील्ड, मेरियट	लखनऊ	08.01.2019	08.01.2019	70
3	रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर	लखनऊ	19.03.2019	19.03.2019	31
4	मेगा मॉक एक्सरसाइज	फन मॉल, लखनऊ	05.04.2019	05.04.2019	38
5	रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर	लखनऊ	21.06.2019	21.06.2019	46
6	एयरपोर्ट	लखनऊ	27.08.2019	27.08.2019	28
7	रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर	लखनऊ	20.09.2019	20.09.2019	27

ANTI-TERROR SQUAD

महत्वपूर्ण योगदान (प्रदर्शनियों में प्रतिभाग)

क्र0	प्रदर्शनी का नाम	जनपद	अवधि		कार्मिकों की संख्या
			कब से	कब तक	
1	All India Police Exibition	केवड़िया, गुजरात	31.10.2019	06.11.2019	09
2	47th All India Police Science Congress Exibition	लखनऊ	28.11.2019	29.11.2019	12

पुरस्कार

- गणतन्त्र दिवस परेड–2019 हेतु पुरस्कार से पुरूस्कृत किया गया।

समाप्त